न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

1–प्रकरण संख्या 33/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री भीकसिंह पिता सवाईसिंह जी राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री पूरणसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत निवसी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

2–प्रकरण संख्या 34/2018 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री भीकसिंह पिता सवाईसिंह सराजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवीसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री पूरणसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ व प्रारम्भिक डिक्री
दिनांक 3–3–2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक
25–5–2016 प्रकरण संख्या 33/2014

———/———

उपस्थित :–1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री डी.एस. चुण्डावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1, 2

3– राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 19–12–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध विभाजन का वाद पेश कर गांव दोला जी का खेड़ा की वादी व प्रतिवादी (अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट का) 1/2 हिस्सा प्रत्येक की आराजीयात कूल किता–11 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा का विधिवत विभाजन किये जाने के लिए निवेदन किया। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 33/2014 दर्ज होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली पेशियों में चलती रही। दिनांक 4–2–2016 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या–2 सरकार की और से नोट–शीट पर ही राजस्व रेकार्ड अनुसार बंटवाड़े पर सहमति दी। इसके आगामी पेशी दिनांक 24–2–2016 को प्रतिवादी संख्या–1 अपीलान्ट के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3–3–2016 को प्रकरण मं राजस्व रेकर्ड अनुसार विधिवत बंटवाड़े के प्रारम्भिक डिक्री पारित की तथा दिनांक 25–5–2016 को लोक अदालत में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की। अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 33/2014 में विभाजन के वाद में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 3–3–2016 व अंतिम डिक्री दिनांक 25–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में क्रमशः अपील संख्या 34/2018 तथा 33/2018 पेश की।

उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही प्रकरण में समान पक्षकार के मध्य, समान विषय–वस्तु पर विभाजन के वाद में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 34/2018 व 33/2018 पेश की गई है, हम न्यायहित में उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से करना उचित समझते है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रहे।

सर्व प्रथम हम प्रारम्भिक डिक्री की अपील संख्या 34/2018 पर निर्णय पारित करना उचित समझते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिंनक 3–3–2016 को पारित की गई है। दिनांक 3–3–2016 को

प्रारम्भिक डिक्री पारित करते समय अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9–7–2015 को पेश किया गया राजीनामा तथा दिनांक 9–7–2015 को उसे नोटिस तामिल होने की जानकारी पूर्व से होना तथा दिनांक 24–2–2016 को उसके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही हो जाने के तथ्य रेकर्ड पर है। अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 3–3–2016 की अपील दिनांक 13–7–2018 को पेश की है, जिसके साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर उसे निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं होना बताया है, जो निसन्देह तथ्यपरख नहीं होकर मिथ्या है। अतएव यह प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील संख्या 34/2018 प्रथम दृष्टया ही बेरून मयाद होने से खारिज योग्य है। इसके गुणावगुण पर भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्व रेकर्ड के आधार पर विभाजन नियमानुसार किये जाने का निर्णय पारित किया है, अपीलान्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड से इतर हक अधिकार होने का कोई कथन व साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री निर्णय दिनांक 3–3–2016 के विरूद्ध पेश शुदा अपील संख्या 34/2018 बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 3–3–2016 को जारी करने के बाद लोक अदालत में दिनांक 25–5–2016 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 33/2018 इस न्यायालय में दिनांक 13–7–2018 को पेश की है। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश किया तथा अधिनस्थ न्यायालय ने रेकर्ड अनुसार भी विभाजन प्रस्ताव तैयार करते, न तो विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार किये न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की सूचना अपीलान्ट प्रतिवादी को दिये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध है। इन परिस्थितियों में अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा पेश शुदा दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता श्री डी.एस. चुण्डावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। समायतशुदा बहस यव पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन

कर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 25–5–2016 को जिन विभाजन प्रस्तावों के आधार पर जारी की गई है वे विभाजन प्रस्ताव न तो तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार करवाये गये है, न ही उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व अपीलान्ट प्रतिवादी को सुचित किया गया है। त्दनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल के पूर्णपीठ के निर्णय अनुसार विधि प्रतिकूल है। क्योंकि तहसीलदार विभाजन के प्रत्यायोजित दायित्व को उप–प्रत्यायोजित नहीं कर सकता तथा विभाजन के पूर्व सभी पक्षकारान को सूचित किया जाना भी वांछनीय है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम डिक्री दिनांक 25–5–2016 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 25–5–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षकारान को सूचित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा अधिनस्थ न्यायालय प्राप्ती विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का अंतिम निर्णय दिनांक 25–5–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण में निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण **प्रतिप्रेषित** किया जाता है।

समग्र रूप से अपील संख्या 34/2018 खारिज की जाती है डिक्री पर्चा जारी हो तथा अपील संख्या 33/2018 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण **प्रतिप्रेषित** किया जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19–12–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री भीकसिंह पिता सवाईसिंह श्राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द	बनाम	**श्री देवीसिंह पिता अमरसिंह जी राजपूत निवासी दोला जी का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द अन्य –1 व सरकार**

अपील नं0 **34/2018** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **देवगढ़** ... मुकाम मुक्र्खे.....**03**.....माह.....**03**..... **2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**19**..... माह .....**12**..... सन् **2018...** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री अक्षय पालीवाल**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....डी.एस. चुण्डावत ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपीलान्ट** अपील संख्या 34/2018 बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**19**..... माह ...**12**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।